

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA  
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C .W.J.C No...../2013

Nikhat Bano

..... Petitioner

V/S

The State of Bihar and others

..... Respondents

Sub.-: Selection Matter  
Education dept.

Index

Sl.No.	Particulars	Page no.
1.	An application under article 226 of the Constitution of India.	1-9
2.	Annexure-1A true photocopy of the certificates	10-11
3.	Annexure-2 A true photocopy of the extract pages chart	12
4.	Annexure-3 A true photocopy of the merit list	13
5.	Annexure-4 A true photocopy of the proceeding dt.28.04. 07	14-16
6.	Annexure-5A true photocopy of the appointment letter dt.03.06.07	17
7.	Annexure-6 A true photocopy of application dated 02.07.07	18
8.	Annexure-7 A true photocopy of letter dt. 07.11.07	19
9.	Annexure-8 A true photocopy of merit list 7.11.07	20
12.	Annexure-9 A true photocopy of proceeding dt.08. 11. 07	21
13.	Annexure-10A true photocopy of letter dt. 13.11.07	22
14.	Annexure-11 A true photocopy of order dt. 08.08.2011	23-25
15.	Annexure-12 A true photocopy of application	26-31
16.	Annexure 13 A true photocopy of order dt. 13.03.13	32-35
17.	VAKALATNAMA.	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA  
(CIVIL WRIT JURISDICTION )

C .W.J.C No...../2013

Nikhath Bano

..... Petitioner

V/S

The State of Bihar and others

..... Respondents

Synopsis

Prayer-

For quashing the order dt.13.03.2013 passed by the Appellate Authority, Madh -epura in Appeal Case No. 193/12, by which allow, the application of the respondent no.9 and cancel the selection of the petitioner, on the post of Panchayat Teacher, which was made on 13.11.07 and allow the application filed by respondent Rahmati Bano only on the ground that respondent 's services was terminated without asking show cause ,who appointed on 03.06.07 as Panchayat Teacher, whenever at relevant time ,no merit list was prepared of the Urdu Female as Annexure-3, name of respondent no.9 neither in merit list ,as lesser percentage of marks as 42.66% nor cancelling was held for Urdu Female ,not only ,she is not entitled for appointment as lesser percentage of marks 45%.

24.08.06

Petitioner having qualification Maulavi in total mark 828 out of 1200, it is 69% .  
Petitioner filed application on 24.08.2006  
Respondent no. 9, total aggregate marks 512 out of 1200 as percentage mark of 42.66%. whenever wrongly mentioned percentage 56.68%.  
Respondent's selection committee did not call for counselling for the female

28.04.07.

Candidate of the subject Urdu, because merit list was not prepared ,hence appointment was not made in the subject of Urdu in the female category by the proceeding dt. 28.04.07.

03.06.07

Respondent no. 9 got appointment letter dt.03.06.07

02.07.07

submitted joining.

02.07.07

Petitioner filed an application before the respondent B.D.O.Ghailarh ,who was appellate authority under rule 2006.

07.11.07

Mukhiya of Gram Panchayat Jhitkiya issued a letter dt.07.11.07 to the Head master of Primary school Urdu Lakshminiya where respondent no. 9 was working, inter alia stated that as per order of District Magistrate as well as decision of the committee, cancelled the appointment of the respondent no. 9 ,who was illegally appointed on the post of panchayat teacher in gram panchayat Jitkiya .

7.11.07

Merit list, name of petitioner found that sl. no.4, after perusal of the said merit list, the name of respondent no.9 has not been mentioned any where because, she has lesser marks to more than 5 candidate,

08.11.07

Finally selected the case of petitioner on the proceeding dated 08.11.07 .

13.11.07

Appointment letter dt.13.11.07 issued in the name of the petitioner .

08.08.11

passed in CWJC No.7631 with direction to the respondent filed an application

13.03.13

passed the order dt.13.03.13 by tribunal without considering the case of the petitioner .

Hence this writ application.

PATNA SCOUR PATNA  
COURT FEE  
Authorization No. 2675  
INDIA



Rs. 0000285  
375459  
\*\*Zero\*Zero\*Zero\*Zero\*Two\*Eight\*Five\*\*

Patna  
1.4.2013  
6362 6933 2969

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA  
( CIVIL WRIT JURISDICTION )

C.W.J.C NO. /2013.

In the matter of an application under  
Article 226 of the constitution of India.

And

In the matter of

Bikhat Bano, W/o Afroz Alam, R/o village Jhitkiya Mahua Tola, Ward No. 4 ,P.S. Ghailarh,  
District Madhepura  
.....Petitioner

Versus

1. The State of Bihar.through Principal Secretary, Human Resources Development Department, Government of Bihar, Patna.
2. The Principal Secretary, Human Resources Development Department, Government of Bihar, Patna.
3. The Appellate Authority, District Teacher Employment, Madhepura through its member.
4. The District Magistrate, Madhepura , District Madhepura
5. The Block Development Officer, Ghailarh, District Madhepura
6. District Programme Officer (Establishment) Madhepura , District Madhepura.
7. The Panchayat Secretary, Grampanchayat Jhitkiya P.S.-Ghailarh, Dist-Madhepura.
8. The Mukhia of Grampanchayat Jhitkiya P.S.-Ghailarh, Madhepura, Dist-Madhepura.

9.Rahmati Bano, D/o Md. Anwar Alam, R/o Saharsa Basti, Ward No. 31/24, PO Saharsa,  
P.S. & District - Saharsa. .... Respondents.

To,

The Hon'ble Ms.Justice Rekha M. Doshit the Chief Justice of the High Court of  
Judicature at Patna and her companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition filed on behalf  
of the petitioner above named.

**Most Respectfully Sheweth:-**

1. That this writ application is being filed for issuance of writ in the nature of certiorari for quashing the order dt.13.03.2013 passed by the Appellate Authority, Madhepura in Appeal Case No. 193/12, by which allow,the application of the respondent no.9 and cancel the selection of the petitioner,on the post of Panchayat Teacher, which was made on 13.11.07 and allow the application filed by respondent Rahmati Bano only on the ground that respondent 's services was terminated without asking show cause ,who appointed on 03.06.07 as Panchayat Teacher, whenever at relevant time ,no merit list was prepared of the Urdu Female as Annexure-3, name of respondent no.9 neither in merit list ,as lesser percentage of marks as 42.66% nor concurring was held for Urdu Female ,not only ,she is not entitled for appointment as lesser percentage of marks 45% and further give other legal consequential benefit to petitioner.

2. That main points are involved in this writ application are as follows:-

- i) Whether the order impugned dt. 13.03.13 is illegal and bad in law and fit to be set aside or not?
- ii) Whether respondent no. 9 appointed on 03.06.2007 without following due procedure or not ?
- iii) Whether respondent no. 9 having lessor percentage of marks to the petitioner and

others thus her appointment on the post of Panchayat Teacher was illegal and rightly set aside in the year 2007 or not?

- iv) Whether even respondent no.9 was not in the merit list for the counselling even then respondent no. 9 appointed on the post of Panchayat Teacher without following procedure or not?
- v) Whether action of the respondent is illegal arbitrary, malafied and miscarriage of justice or not?

3. That petitioner is citizen of India and she is entitled for right guarantee under the constitution of India.

4. That respondents issue vacancy on the post of Panchayat Teacher in Grampanchayat Jhitkiya ,Dist- Madhepura and petitioner having requisite qualification Maulavi, it is equivalent to intermediate and having in total mark 828 out of 1200, it is 69% thus she is entitled for appointment on the post of Panchayat Teacher within the Gram Panchayat Jhitkiya.

A true photocopy of the certificates are annexed as Annexure - 1 series of this petition.

5. That petitioner submitted application on 24.08.2006 in General category of the Urdu Female vacancy and she has granted receipt Sl. No. 38, where mentioned percentage of mark as level of Intermediate 828 out of 1200 marks, about 69% , whereas respondent no. 9 name mentioned as Sl. No. 166, total aggregate marks 512 out of 1200 as percentage mark of 42.66%. whenever wrongly mentioned percentage 56.68%.

A true photocopy of the extract pages chart is annexed as Annexure - 2 of this petition.

6. That respondent's selection committee did not call for counselling for the female

candidate of the subject Urdu, because merit list was not prepared, hence appointment was not made in the subject of Urdu in the female category by the proceeding dt. 28.04.07.

A true photocopy of the merit list & proceeding dt. 28.04.07 are annexed as Annexure-3&4 of this petition.

7. That perusal of the merit list 25.04.07 and proceeding dt. 28.04.07, lordship will find that in the Muslim category merit list of the male was made and left the merit list of female category of the Muslim as subject of Urdu, by which clearly that only 8 male persons name mentioned in the merit list, all are male candidate.

8. That proceeding dt. 28.04.07 by which clearly mentioned that one post for the subject of Urdu is vacant due non preparation of the merit list in the general category. Even then respondent no. 9 got appointment letter dt. 03.06.07 and she submitted joining in the respective school on 02.07.07, when ever respondent no. 9 has lesser marks to more than 5 candidate including petitioner.

A true photocopy of the appointment letter dt. 03.06.07 is annexed as Annexure-5 of this petition.

9. That petitioner came to know about the fact that respondent no. 9 having lesser mark to the petitioner even then she has appointed without following due procedure then she has compelled to file application before respondents as alleged that respondent no. 9 having lesser marks and without merit list, she has illegally been appointed and also filed an application before the respondent B.D.O. Ghailarh, who was appellate authority under rule 2006., soon after receiving application of the petitioner, B.D.O., asked show cause to the Panchayat Secretary and directed to submit all the relevant paper regarding appointment of the respondent no. 9.

A true photocopy of application dated 02.07.07 is annexed as Annexure - 6 of this petition.

10. That Mukhiya of Gram Panchayat Jhitkiya issued a letter dt.07.11.07 to the Head master of Primary school Urdu Lakshminiya where respondent no. 9 was working, inter alia stated that as per order of District Magistrate as well as decision of the committee, cancelled the appointment of the respondent no. 9, who was illegally appointed on the post of panchayat teacher in gram panchayat Jitkiya, by her name was wrongly entry in the merit list and directed debarred from the works..

A true photocopy of letter dt. 07.11.07 is annexed as  
Annexure - 7 of this petition.

11. That respondent selection committee prepared a merit list of the Urdu female of the applicants in Gram Panchayat Jhitkiya, on the said very merit list, name of petitioner found that sl. no.4, after perusal of the said merit list, the name of respondent no.9 has not been mentioned anywhere because, she has lesser marks to more than 5 candidate, all persons's name mentioned in the merit list, merit list mentioned only 5 persons name against the one vacancy in the Urdu female candidate, than Selection Committee call for counselling, whose name mentioned in the merit list and thereafter finally selected the case of petitioner on the proceeding dated 08.11.07 as no other applicant appeared.

A true photocopy of merit list 7.11.07 & proceeding dt.08.  
11. 07 are annexed as Annexure - 8 & 9 of this petition.

12. That in pursuance of the proceeding dt.08.11.07, appointment letter dt.13.11.07 issued in the name of the petitioner and she submitted joining in the Primary School, Lakshminiya, since very date she is discharging duties to the satisfaction of the authority concerned without any complaint against her.

A true photocopy of letter dt. 13.11.07 is annexed  
as Annexure - 10 of this petition.

13. That if respondent no. 9 aggrieved from the appointment/selection of the petitioner or her termination or restrain from the works from 7.11.07, she should have file a complain before B.D.O. under the rule 18 of Bihar Panchayat Primary Teacher (employment and service condition) Rule 2006 but did not file any application rather she filed CWJC No.7631/08 before Hon'ble High Court and challenging appointment of the petitioner as well as restraining from work and her termination, the aforesaid writ application was heard on 08.08.2011 and disposed off with direction to the respondent filed an application before Appellate Authority within one month from the date of receipt/ production of copy of the order dt. 08.08.2011.

A true photocopy of order dt. 08.08.2011 is annexed as Annexure - 11 of this petition.

14. That respondent no.9 could not file appeal before the appellate authority within the statutory period as per order dt.08.08.11 passed in CWJC No.7631/08 rather filed after lapse of more than one month thus the appeal of the respondent no. 9 time bar as per the order of the Hon'ble High Court also. Thus respondent no.9 has no case before Tribunal.

15. That petitioner received notice from the appellate authority and filed application inter-alia stated that no merit list was prepared for the candidate of Urdu female, when respondent no.9 appointed rather she got appointment with conspiracy of the Panchayat Secretary of the gram panchayat Jhitkiya, whenever she has lesser to 45% mark to the petitioner and others applicates.

A true photocopy of application is annexed as Annexure - 12 of this petition..

16. That appellate authority passed the order dt. 13.03.13 without considering the case of the petitioner and without go through the record of the proceeding but passed order on the ground that 28.04.07/25.04.07 a merit list was prepared, on the said merit list respondent no. 9 was appointed and without asking show cause terminated the services of



respondent no. 9 which is illegal, whenever perusal of the proceeding dt. 28.04.2007 by which clearly mentioned that no merit list of the Urdu female candidate was prepared by the selection committee, in the result one post was vacant for appointment of the general category candidate of Urdu female. Thus no question arose regarding merit list and illegal said that in the said merit list, name of respondent no.9 was mentioned, perusal of the merit list of the Urdu female candidate in the said list only five persons name mentioned who having higher marks in ratio 1:5 for counselling, on the ground vacancy is only one post but name of the respondent no.9 not figure anywhere because she has only 46.66 % of marks. Hence order of the appellate authority dt. 13.03.13 is illegal and fit to be set aside.

A true photocopy of order dt. 13.03.13 is annexed as Annexure - 13 of this petition.

17. That the Ld. Tribunal hold that the only respondent no. 9 participate the counselling, hence she was appointed as Panchayat Teacher against the general vacancy of the Urdu whenever no merit list of the Urdu female candidate was prepared, which is clearly speak the proceeding dt. 28.04.07 by which stated that merit list of the female Urdu has not prepared thus no question arise for calling counselling. Thus appointment of the respondent no. 9 is deem to be illegal and bad in law and rightly set aside by selection committee and after due procedure, appointed to petitioner, same should be affirmed.

18. That the petitioner appointed by the selection committee as being she has percentage 69% marks and other hand respondent no. 9 having 42.66 percentage of mark thus no question arise to left the case of petitioner and appointed the respondent no. 9.

19. That perusal of the order dt. 13.03.13 lordship will find that no any document / record submitted by Selection committee of the Panchayat, its deem that there was no proceeding of the counselling of Urdu female applicant, which is evidently in proceeding.

20. That Ld. Tribunal held that petitioner could not file objection under Rule 9 (8) when ever said rule speak that after preparation of the panel, which shall be published and asked objection, the relevant time, no panel , no question arised filing objection .

21. That respondent no. 9 appointed on. 03.06.07, whenever she has only 42.66% of marks,she is not entitled to be appointed as , she has less than 45% marks in intermedi ate but she submitted joining on 02.07.2007 whenever petitioner filed complain before the Appeallate authority BDO on 02.07.07, and took cognizance and call for the record and after perusal of the record directed the cancelled the selection of the respondent .

22. That settled principal is that the appointment found to be illegal, no need to give due opportunity for producing her case thus in this score the order of the Appellate au thority is illgal bad in law and fit to be set aside.

23. That on the above facts and circumstances of the case petitioner deserve relief by this Hon'ble Court.

24. That petitioner has no other efficacious and alternative remedy save and except to move before this Hon'ble Court.

25. That petitioner has not moved any time earlier for the relief sought for in para-1 of this writ application.

It is therefore,prayed that your's lordship may graciously be pleased to issu e notice to show cause as to why the relief sought for in para-1 of this writ application be not granted to the petitioner and upon cause being shown if any and after hearing the parties pass such other order/orders as your lord ship may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case;

And/or

During the pendency of this application stay the impuged order annexure-13.

And for this the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Nikhat Bano, aged about 26 years W/o Afroz Alam, R/o village Jhitkiya Mahua Tola, Ward No. 4 P.S. Ghailarh, District Madhepura, do here by solemnly affirm and stated as follows:-

1. That I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That I have gone through the contents of this appeal and have fully understood the same. The statements made paragraph no.3,7,14 and 17 to 21 and paragraph no. 4,5,6 8,9 to 13,15 and 16 in my knowledge and informat in belief and rest are by way of submission before this Hon'ble Court.
3. That the annexure are true/photo copies of their respective originals.

Annexure-1

(10)

(3)

# BIHAR STATE MADRASA



# EDUCATION BOARD, PATNA

M.S. NO.: 10415/9-8-11

THE FOLLOWING ARE THE DETAIL MARKS OBTAINED BY **Nikhat Bano** MARKS ISSUED ON: 12-8-11

ROLL No: **MAD-122** REGISTRATION No.: **MAD-157/2002** AT THE MOULVI EXAMINATION OF 2004

MINIMUM MARKS FOR :	M A R K S O B T A I N E D														RESULT	REMARKS		
	C O M P U L S O R Y S U B J E C T S																	
	D I N Y A T				A R A B I C			E N G L I S H			MAN & FLS	HIN	PER	URDU			OPT. SUB	
DISTINCTION - 900	P-1	P-2	P-3	TOT	P-1	P-2	TOT	P-1	P-2	TOT								
1st Div. - 720	100	100	100	300	100	100	200	100	100	200	100	100	100	100	100	100	100	1200
2nd Div. - 540	33	33	33	99	30	30	60	30	30	60	30	30	30	30	30	30	369	
3rd Div. - 369	70	70	70	210	71	71	142	69	66	135	70	65	70	67	69	828		
FULL MARKS	AGGR.																	
PASS MARKS	DIVISION																	
MARKS OBTAINED	I-II																	

ASST. **1288111**

S.O. **1278**

DY. CONTROLLER OF EXAMINATIONS

CONTROLLEER OF EXAMINATIONS  
Patna

प्रखण्ड संसाधन केन्द्र, शांकरपुर (मधेपुरा)

प्रशिक्षण प्रशाप-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री निकेत शर्मा

सश्रि./पंचायत शिक्षक/प्रखण्ड शिक्षक/प्राथमिक/मध्य विद्यालय रा.दि.म.निसी

ने प्रखण्ड संसाधन केन्द्र सोनवर्षा, शांकरपुर में दिनांक : 28.1.13 से 06.02.13


तक आयोजित क.स. दिवसीय रा.दि.संवाह मि.रा. - 02

.....आवासीय/गैर आवासीय प्रशिक्षण में सफलता पूर्वक भाग लिया।

प्रशिक्षण के दौरान इनकी सहभागिता प्रशंसनीय रही। प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षणोपरान्त आज दिनांक 06.02.13 अपराह्न अपने मूल विद्यालय में योगदान हेतु विरमित किया जाता है।

  
प्रखण्ड/13

  
साधन सेवी

  
समन्वयक  
प्रखण्ड संसाधन केन्द्र  
शांकरपुर, मधेपुरा

Answer - 2

12

दिनांक 18.08.06 से आवेदन पत्र प्राप्त किये जा रहे हैं।

क्रमांक	आवेदकका का नाम एवं पता	पिता /पति का नाम	जन्म तिथि	कोटि जाति	पुं/मं	प्रशिक्षण	अप्रशिक्षित	शैक्षणिक योग्यता स्तर /प्राप्तांक	प्रतिशत	इन्टरमिडिएट		प्राप्तांक /प्रतिशत	
										प्राप्तांक	प्रतिशत		
01	अशोक कुमार	यशोधर प्र० यादव	05.05.75	पिछडा	पु०		अप्रशिक्षित	546	6067	457	50.78%		
38	निकहल बानु ग्राम - महुआ	मो० अफरोज आलम	10.03.89	पिछडा	म०	प्रशिक्षण				828	69%		मौलवी
166	रहमती बानु ग्राम - सदरसा बस्ती	मो० अनवार आलम	31.10.87	सामान्य	म०	प्रशिक्षण				512	56.86%		
167	मो० शाहनबाज आलम, ग्राम सदरसा बस्ती	सनवार आलम	18.8.80	सामान्य	पु०	प्रशिक्षण				569	63.21%		

3

Appendix-3 (13)

Handwritten header text in Odia script, possibly a title or reference number.

01	02	03	04	05	06	07	08
	1/279	ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	ଅନୁମତି	2.9.80	612	681	
02	2/322	ଅନୁମତି	ଅନୁମତି	20.11.80	516	62.85	
03	3/327	ଅନୁମତି	ଅନୁମତି	10.11.80	551	61.221	
04	4/328	ଅନୁମତି	ଅନୁମତି	12.9.80	500	61.221	

Handwritten text below the first table, possibly a sub-header or note.

01	1/215	ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	1.1.80	611	741	
02	2/216	ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	1.1.80	700	62.21	
03	3/217	ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	18.8.80	560	63.21	
04	4/218	ଅନୁମତି	ଅନୁମତି	5.5.80	248	62.31	ଅନୁମତି
05	5/219	ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	ଅନୁମତି	8.6.80	500	62.3	
06	6/220	ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	28.4.80	671	53.11	
07	7/221	ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	1.3.77	1111	5.604	
08	8/222	ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	3.11.80	758	49.1	

Handwritten notes and signatures on the left side of the second table.

Handwritten notes and signatures in the middle of the page.

Handwritten notes and signatures on the right side of the page.

Large handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

True copy of No. 3

13

ग्राम पंचायत झिटकिया प्रखंड घैलाढ़ जिला मधेपुरा।

हरिजन महिला

1	2	3	4	5	6	7	8
01	1/778	विजय लक्ष्मी	राधेश्याम रजक	8.9.80	611	68%	
02	1/321	सुनीता कुमारी	देवनारायण पासवान	20.04.86	516	62.68	
03	3/327	सकुन्तला कुमारी	राजेन्द्र राम	12.11.86	551	61.22	
04.	4/325	नन्दनी कुमारी	हरिराम कुमार	2.2.83	581	61.22	

मुस्लिम कोटि का मेधा सूची

01	1/745	मो० शलाउद्दीन	मो० सफीक	1.1.79.	616	74	
02	2/765	मो० जावेद	मो० युसुफ	18.1.86	769	62.62	
03	3/167	मो० शहनवाज	मो०अस्पष्ट	18.08.80	569	63.0	
04	4/25	भंसुर आलम	खुसमोहम्मद	5.5.69	748	62.3	उम्र अधिक है
05	5/75	रियाज आलम	भंगुर आलम	3.6.80	655	62.5	
06	6/745	मो० इजहार	मो० जहीर	28.4.68	675	53.05	
07	7	मो०उतर	लाल मोहम्मद	1.3.77	451	50.0	
08	8	सकिल अहमद	मो० वाजुलक्क	3.7.87	798	49.	

ह०/अस्पष्ट

पंचायत सचिव,

ह०/अस्पष्ट

दि० 25.04.07

मुखिया



ANNEXURE-1

02

कुल 75 तक नैवा अंक के आधार पर प्रसार पंचल का अनुमोदन पूर्व समिति से हो गई।

प्रस्ताव सं-7 प्राप्ति द्वारा सरकार के मातृ दर्शन के अनुसार पंचायत शिक्षक नियोजन के चयन आदेशों से रोकित किया है।

- 1. सामान्य कौरा UR - 02
- 2. सामान्य कौरा महिला UR F - 03
- 3. अल्प पिछड़ा पुरुष EBC - 01
- 4. अल्प पिछड़ा (महिला) EBC F - 01
- 5. अनुसूचित जाति महिला SC (F) - 01
- 6. पिछड़ा क्षेत्र महिला BCF - 01
- 7. रिजर्व कौरा महिला RCF - 01

उपरोक्त आदेशों को रोकित के अठारह नैवा सूची में से समिति द्वारा कुल 10 (दस) पंचायत शिक्षक का नियोजन किया जाना है जो निम्न प्रकार है। एवं कुल 10 शिक्षक में से 2 (दो) प्रशिक्षित पंचायत क्षेत्र 8 (आठ) रिक्त पद पर अप्रशिक्षित पंचायत शिक्षक का नियोजन किया जाना है जो निम्न प्रकार है।

UR(F) - 02

- 1. नीतू कुमारी सिन - अशोक कुमार - प्राणिक लक्ष्मी निमां श्वरीणा
- 2. कुमारी काजल रामणी - विनीत कुमा (भावे) - प्राणिक लक्ष्मी निमां

UR(F) - 01

उई पुरुष नैवा सूची तैयार किया गया। उई महिला नैवा सूची तैयार नहीं होने के कारण महिला उई को रोकित एक पद रिक्त रह गया।

विद्यालय में पीठोद्वारा की शिक्षा  
 वही का मैं पा आपका निर्माण  
 रख का फिर आप गया ।  
 एवं अक्षरहिताक्षर को चुनना ही  
 आपकी । इतनी स्वीष्टि लक्ष्मि  
 से ही गई ।  
 द्वारा उपनिषत् लक्ष्मि लक्ष्मि को  
 अन्धवाद आपन किया गया नरपक्ष  
 लक्ष्मि की कार्यवाही समाप्त की जाती  
 है ।

~~मन्मथ~~ ~~विद्यालय~~  
 मन्मथ लक्ष्मि विद्यालय  
 लक्ष्मि लक्ष्मि लक्ष्मि

# Tylo cobral Annexure 4

कुल 75 तक मेधा अंक के आधार पर तैयार पैनल का अनुमोदन सर्वसम्मति से दी गई।  
प्रस्ताव सं० - 7 समिति द्वारा सरकार के मार्ग दर्शन के अनुसार पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु चयन आरक्षण रोस्टर निम्न प्रकार है -

1. सामान्य कोटा - UR - 02
2. सामान्य कोटा महिला - URF - 03
3. अत्यंत पिछड़ा पुरुष - EBC - 01
4. अत्यन्त पिछड़ा (महिला) EBCF - 01
5. अनुसूचित जाति महिला SC(F) - 01
6. पिछड़ा कोटा महिला BC(F) - 01
7. रिजर्व कोटा महिला R(F) - 01

उपरोक्त आरक्षण कोटि के अनुरूप मेधा सूची में से समिति द्वारा कुल 10 (दस) पंचायत शिक्षक का नियोजन किया जाना है जो निम्न प्रकार है एवं कुल 10 रिक्त पद में से 2 (दो) प्रशिक्षित पंचायत शिक्षक का नियोजन किया गया। अब शेष 8 (आठ) रिक्त पद पर अप्रशिक्षित पंचायत शिक्षक का नियोजन किया जाना है जो निम्न प्रकार है।

1-UR(F) - 02

1. नीतू कुमारी पिता - अशोक कुमार - प्रा०वि०, लक्ष्मीनियाँ पूर्व टोला
2. कुमारी काजल कामनी - विनोद कुमार यादव, प्रा०वि० वासू टोला

2-UR(F) - 01 उर्दू

उर्दू पुरुष मेधा सूची तैयार किया गया। उर्दू महिला मेधा सूची तैयार नहीं रहने के कारण महिला उर्दू कोटि एक पद रिक्त रह गया।

3. R(F) - 01

1. रीना कुमारी योगेन्द्र प्र० यादव - प्रा० वि० जयपुर (हरिजन टोला)

4. BC (F)

1. मीरा कुमारी - जामून यादव - प्रा० वि० बुद्धनगर (लक्ष्मीनियाँ - पश्चिम)

5. EBC (F) - 01

1. विनीता कुमारी - नरेश कुमार वर्मा - प्रा०वि० वासूटोला

6. EBC - 01

1. विजय कुमार - शशिनाथ मंडल - प्रा०वि० जयपुर (हरिजन टोला)

7. SC (F) - 01

1. सुनीता कुमारी - देव नारायण पासवान - प्रा० वि०, पथराहा पूर्वी

क्रमांक 1 से कुल 07 अभ्यर्थी का सभी मूल प्रमाण पत्र समिति के समक्ष प्रस्तुत किया।

प्रस्ताव सं० - 8 - समिति उपरोक्त पंचायत शिक्षा नियोजन हेतु सभी मूल प्रमाण पत्र जाली या गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन रद्द कर दिया जायेगा और अन्य कानूनी कार्यवाही की जायेगी। यह नियोजन पूर्णतः औपबंधिक हैं पंचायत शिक्षक योगदान हेतु उपरोक्त अंकित विद्यालय में किया गया।

उपरोक्त सभी पंचायत शिक्षक नियोजन करते हुए अपना योगदान उपरोक्त अंकित विद्यालय में एक सप्ताह के अन्दर पदस्थापित विद्यालय में योगदान करें। योगदान नहीं करने पर आपका नियोजन रद्द कर दिया जायेगा एवं अधोहस्ताक्षरित को सूचना दी जायेगी। इसकी स्वीकृति सर्वसम्मति से दी गई।

अन्त में मुखिया जी द्वारा उपस्थित सभी समिति को धन्यवाद ज्ञापन किया गया तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

ह०/अस्पष्ट  
दि० 28.07.07  
पंचायत सचिव

ह०/अस्पष्ट  
दि० 28.07.07  
ग्राम पंचायत, झिटकिया

पंचायत शिक्षक के नियोजन हेतु नियोजन पत्र

ज्ञापांक ०५-१

दिनांक ०३.६.०७

प्रखंड- घैलाढ

जिला- मधेपुरा

पंचायत- झिटकिया  
सेवा मे

श्री/श्री मति

रुहमन/बानो

प्रसन्नतापूर्वक सूचित करना है कि ग्राम पंचायत- झिटकिया का अन्तर्गत प्रा० वि० .....  
में पंचायत शिक्षक प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित के रूप में नियोजन करने हेतु आपका चयन किया गया है। आपका नियोजन बिहार प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2006 के अनुसार होगा। अगर आपको नियोजन स्वीकार्य हो तो कृपया सहमति-प्रपत्र में अपनी सहमति अंकित करते हुए ग्राम पंचायत कार्यलय में सुपुर्द करे तथा दस दिनों के अंदर उपरोक्त विद्यालय में योगदान दें। साथ ही योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की मूल प्रति एवं आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी संबंधित प्रमाण पत्र सहमति पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

अगर आपके द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो आपका नियोजन रद्द कर दिया जायगा एवं आपके विरुद्ध कानूनी कारवायें की जायेंगी।

स्थान - झिटकिया

दिनांक- ३.६.०७

पंचायत सचिव  
ग्राम पंचायत- झिटकिया  
प्रखंड-घैलाढ  
(मधेपुरा)

Sanyam Kumar  
Advocate  
30.12.2007

Type कॉपी न होकरने-15

17

पंचायत शिक्षक के नियोजन हेतु नियोजन पत्र

ज्ञापांक - 04- 1

दिनांक - 03.06.07

प्रखंड- घैलाढ़

जिला - मधेपुरा

पंचायत - झिटकिया

सेवा में,

श्रीमति रहमीत बानो, प्रसन्नता पूर्वक सूचित करना है कि ग्राम पंचायत झिटकिया के अन्तर्गत प्रा० वि० उर्दू, लक्ष्मीनियाँ में पंचायत शिक्षक अप्रशिक्षित के रूप में नियोजन करने हेतु आपका चयन किया गया है। आपका नियोजन बिहार प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2006 " के अनुसार होगा। अगर आपको नियोजन स्वीकार्य हो तो कृपया सहमति - प्रपत्र में अपनी सहमति अंकित करते हुए ग्राम पंचायत कार्यालय में सुपुर्द करें तथा दस दिनों के अंदर उपरोक्त विद्यालय में योगदान दें। साथ ही योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की मूल प्रति एवं आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी संबंधित प्रमाण पत्र सहमति पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

अगर आपके द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो आपका नियोजन रद्द कर दिया जायेगा एवं आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

स्थान - झिटकिया

दिनांक - 03.06.07

विश्वासभाजन,  
ह०/अस्पष्ट  
दि० 03.06.07  
पंचायत सचिव,  
ग्राम पंचायत - झिटकिया  
प्रखंड - घैलाढ़  
(मधेपुरा)

संकेत है :-

श्रीमान प्रधान विभाग पदाधिकारी, बिलासपुर।

विषय :- ग्राम-पंचायत मिश्रकिया बिना सेवा सूची प्रकाशित  
किये निपुक्ति पत्र निर्माण करने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव :-

निवेदन पूर्वक सूचित करवा है कि ग्राम-पंचायत  
मिश्रकिया में पंचायत मिश्रक के निपुक्ति में बिना  
सेवा सूची प्रकाशित किये ही मुख्यालय कोठी पर  
निपुक्ति पत्र पंचायत सचिव श्री रामदेव साहवाण  
के द्वारा अधिकांश रकम लेकर निपुक्ति पत्र निर्माण  
वा दिया गया है जो निषिद्धानुसार नहीं है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि  
ग्राम-पंचायत मिश्रकिया का मुख्यालय कोठी के  
पंचायत मिश्रक निपुक्ति पत्र पर उचित जांच  
करते हुए अंतः प्रस्ताव पर कार्रवाई  
करने की कृपा प्रदान की जाय।

अपराध :-

मुख्यालय कोठी  
पंचायत मिश्रकिया  
मिश्रकिया

विशालभागत

निकटस्थ

पते- मेरे आकरेण  
डाफ्टी रकम सं- 38

सर्वप्रथम  
सर्वप्रथम  
सर्वप्रथम

Letter to the

(K)

सेवा में,

श्रीमान् प्रखंड विकास पदाधिकारी, घैषाढ़।

विषय— ग्राम पंचायत, झिटकिया बिना मेधा सूची प्रकाशित किये नियुक्ति पत्र वितरण करने के संबंध में।

महाशय,

महोदय,

1. स्पष्टीकरण मांगें।

2. सभी कागजात प्राप्त करें।

ह०/अस्पष्ट  
दि० 02.07.07

निवेदन पूर्वक सूचित करना है कि ग्राम पंचायत, झिटकिया में पंचायत शिक्षक के नियुक्ति में बिना मेधा सूची प्रकाशित किये ही मुस्लिम कोटि से नियुक्ति पत्र पंचायत सचिव श्री रामदेव पासवान के द्वारा अधिक रकम लेकर नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया गया है जो नियमानुसार नहीं है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि ग्राम पंचायत, झिटकिया का मुस्लिम कोटि के पंचायत शिक्षक के नियुक्ति पत्र पर उचित जाँच करते हुए श्री पासवान पर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा प्रदान की जाय।

महाशय

यह आरोप सही है। मेधा सूची प्रकाशित नहीं किया गया है।

ह०/अस्पष्ट  
दि० 02.07.07  
मुखिया।

विश्वासभाजन,  
ह०/अस्पष्ट  
दि० 02.07.07  
(निकहट बानो)  
पति - मो० अफरोज  
आलम  
प्राप्ति रसीद सं० - 38

प्रेषक - मुर्जापुर  
ग्रामपंचायत मिर्जापुर

श्रीमान्,  
प्रधानाध्यापक -  
आर्यो उर्दू लक्ष्मीनियां

मिर्जापुर दिनांक 7/11/2007

विषय - पंचायत शिक्षण नियोजन के संबंध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कक्षा 10  
मिला पढाव के जनसूचका में मौखिक जांच  
दिया गया कि कक्षा नियोजन में 25वीं व 26वीं  
जल्दी बुधा के नियोजन करने का आदेश  
दिया गया। पूर्व के पंचायत अधिनियम 2003  
उर्दू बुलब बुधा में उर्दू महिला एक अध्यापिका  
का नाम मेधा बुधा में जोड़ के नियोजन किया  
गया तथा आदेश के तहत उर्दू महिला की  
बिना मेधा बुधा में एक उर्दू महिला की  
अध्यापिका 26वीं व 27वीं आर्यो लक्ष्मीनियां में  
नियोजन किया गया। नियम के तहत  
नियोजन अधिनियम के अनुसार यह नियम  
दिया कि महिला उर्दू अध्यापिका 26वीं व 27वीं  
का नियोजन 28 किया जाना है।

विश्वास नगर

मुर्जापुर  
ग्राम पंचायत मिर्जापुर  
अध्यक्ष - लक्ष्मी



Typical copy of document - 7

19

पंचायत कार्यालय, झिटकिया

पत्रांक - 05/

प्रेषक,

मुखिया,

ग्राम पंचायत झिटकिया।

सेवा में,

प्रधानाध्यापक,

प्रा०वि० उर्दू लक्ष्मीनियाँ।

झिटकिया, दिनांक - 07.11.2007

विषय- पंचायत शिक्षक नियोजन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में कहना है कि जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में मौखिक आदेश दिया गया कि अगर नियोजन में गड़बड़ी है तो गलती सुधार कर नियोजन करने का आदेश दिया गया। पूर्व के पंचायत सचिव द्वारा उर्दू पुरुष मेधा सूची में हुई महिला एक अभ्यार्थी का नाम मेधा सूची में जोड़ कर नियोजन किया गया तथा अधिक अंकवाले उर्दू महिला को बिना मेधा सूची तैयार कर एक महिला अभ्यार्थी रहमती बानो, प्रा० वि०, लक्ष्मीनियाँ में नियोजन किया गया जो नियम के विरुद्ध है। नियोजन समिति सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि महिला उर्दू अभ्यार्थी रहमी बानों का नियोजन रद्द किया जाता है एवं इस से कार्य नहीं लिया जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/अस्पष्ट

दि० 07.11.07

मुखिया,

ग्राम पंचायत झिटकिया।

प्रखंड - घैसाढ़



अप्रशिक्षित पंचायत शिक्षक को सेवा सूची रम पंचायत झिटकिया प्रखंड धौलाढ जिला मधेपुरा।

रम पंचायत, मधेपुरा-87 (22)

U.R.F. 01

उई - पहिक

क्रमांक	पृती क्रमांक	आवेदक/अर्शिका का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	01.01.2006 को उमर			वर्तमान पता	स्थायी पता	इन्टरमिडिएट			महाविद्यालय का नाम एवं उत्तीर्ण वर्ष	अभियुक्ति
					वर्ष	माह	दिन			पूर्णांक	प्राप्तक	प्रतिशत		
01	405	अटशी बानो	मो० वलीहसन माता- हजारा खातुन	20.8.77	28	04	11	मो० जफाट आलम ग्राम- लक्ष्मीनिर्षी पो- धौलाढ भाया पंचमंदिर जिला - मधेपुरा	सलखुआ बाजार, पो- सलखुआ	1200	1005	83.7	मदरसा टोक्यामी रोहतास (काटिहार)	
02	73	निकहत प्रवीण	मो० तज्जमुल हसन मेमूल खातुन	15.5.82	23	07	16	मो० मोहिउद्दीन ग्राम- फौविचपुर शाना-गम्हरिया जिला-मधेपुरा	ग्राम-जीवछपुर, पो० जीवछपुर शाना गम्हरिया जिला-मधेपुरा	1200	984	82%	मदरसा मोहम्मदीया सुपौल	
03	846	जन्तुल फिरोज	अबूर राजिक सईदा खातुन	3.2.68	37	10	28	शब्बीर अहमद पुरानी बाजार मस्जिद चौक वाई नं० 8, मधेपुरा, जिला मधेपुरा	पुरानी बाजार मस्जिद चौक मधेपुरा, जिला मधेपुरा	1200	831	69.25	मदरसा वसाटतीया खिरमापमरा, दरभंगा	
04.	38	निकट बानु	अफरोज आलम, अनिशा खातुन	10.3.87	18	9	21	महुआ वाई 4 पो-नशाना- धौलाढ जिला मधेपुरा	झिटकिया टोला महुआ, शाना- धौलाढ, जिला मधेपुरा	1200	828	69%	राहिसिया गारहारहणापुर, झटकाहा, मधेपुरा	
05.	643	बिदिनीगार तरन्तुम	मो०इस्लामूल हक बिबिसाशन आर	30.1.82	23	11	01	ग्राम चिकनी पो- रहुआ, भाया सिमरी बखियापुर, शाना सौर बाजार, जिला साहरसा	झिटकिया टोला महुआ, शाना- धौलाढ, जिला मधेपुरा	1200	736	62.18%		

मंजु देवी किरण देवी  
सदस्य पंचायत समिति, सदस्य

हं/अस्पष्ट  
मनोनित सदस्य

दि० 07.11.07

पं० सचिव

मुखिया  
गा० पंचायत झिटकिया

जाज दिनेक इ 1111 परत की दिनेक  
 10 वरी पुंयापर भवन किडकिर में  
 पुंयापर विरक के निभिन हेतु रादि  
 सुनि की अक पुंयापर भवन किडकिर  
 के माल के पुंयापर अ नवल मारव  
 के अकारन में हुई असेने निभिसादि  
 हलादि नि सुनि रादि हेतु आत  
 लिट ।

1. पुंया - ~~अनिल~~
2. पुंयापर सवव - ~~अनिल~~
3. मी मर विरक - ~~अनिल~~
4. पुंयापर सुनिभाल - ~~अनिल~~
5. अररर - ~~अनिल~~

प्रापर रंरर-01 - पुंयापर स विव ज्ञात वर  
 अक की कर्मवही पर कर पुंयापर  
 विरकी समुदि सब समर से की राई /  
 प्रान रंरर-02 - UR (1) 01 03 महिन दिव  
 पद की दिनेक (1RS) कुल 5 अररर की  
 की विररर कुल रंरर 7 1111 2007 की  
 सुनार रात । विरर रंरर 1, 2, 3  
 के अरररर अररर नही हुं रंरर  
 व के अररररर रंररर वरर विरर/रर  
 अरररर अररर अररर रंरर रंरर  
 अरररर हुं । अरर रंरर रंरर  
 से निभर ररर कि अरररर अरररर  
 का राव राण कर हुं अरररर  
 अरररर की निभर रंरर रंरर  
 रंररर रररररर रंरर रंरर रंरर

जी निभ मर है ।

1. निररररर - मार रंरर कि लरररर

अररर पुंयापर विरक  
 अररर रंरररर पररररर विररर रंरर  
 मर रंरर रंरर के अररर रंररर  
 कर पुंयापर निभिन रंरर कर रंरर  
 अरररर रंरर रंररररररर रंरर रंरर  
 रंरर रंरर ।  
 मर में पुंयापर जी ज्ञात विररर  
 रंरर रंररर की अरररर अररर रंरर  
 रंरर रंररर रंरर की कर्मवही रंरर रंरर  
 रंरर रंरर

अनिल  
 रंररर रंरर

अध्यास 9 का कार्यवाही

(21)

आज दिनांक 08.11.07 को दिन के 10 बजे पंचायत भवन, झिटकिया में पंचायत शिक्षक के नियोजन हेतु गठित समिति की बैठक पंचायत भवन, झिटकिया के प्रांगन में मुखिया श्री जवाहर यादव के अध्यक्षता में हुई जिसमें निम्नलिखित हस्ताक्षरित समिति उपस्थित होकर भाग लिए -

1. मुखिया -
2. पंचायत सचिव
3. मनोनित शिक्षक
4. पंचायत समिति सदस्य
5. सदस्य

प्रस्ताव संख्या - 01. - पंचायत सचिव द्वारा गत बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाया गया जिसकी सम्पुष्टि सर्वसम्मति से दी गई।

प्रस्ताव संख्या - 02. - UR(F) - 01 उर्दू महिला रिक्त पद के विरुद्ध (1 X 5) कुल 5 अभ्यर्थी को कॉन्सिलिंग हेतु दिनांक 07.11.07 को बुलाया गया। जिसमें क्रमांक 1, 2 एवं 3 के अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए एवं क्रमांक 4 के अभ्यर्थी निकटहत बानो - पिता /पति अफरोज आलम प्राप्तांक 928 प्रतिशत 69 उपस्थित हुए। चयन समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अनुपस्थित अभ्यर्थी का दावा समाप्त करते हुए उपस्थित अभ्यर्थी का नियोजन उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में किया जाता है। जो निम्न प्रकार है -

1. निकटहत बानो - प्रा० उर्दू वि०, लक्ष्मीनियाँ

उपरोक्त पंचायत शिक्षक अपना योगदान पदस्थापित विद्यालय में करें यदि एक सप्ताह के अन्दर योगदान नहीं करने पर आपका नियोजन रद्द कर दिया जाएगा। एवं अधोहस्ताक्षरित को इसकी सूचना दे दी जायेगी।

अंत में मुखिया जी द्वारा उपस्थित सभी समिति को धन्यवाद ज्ञापन किया गया तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

ह०/अस्पष्ट  
दि० 08.11.07  
मुखिया,

# पंचायत शिक्षक के नियोजन हेतु नियोजन पत्र

ज्ञापांक..... 06

दिनांक..... 13-11-07

प्रखंड- घैलाढ़

जिला- मधेपुरा

पंचायत- झिटकिया

सेवा में

श्री/श्री मति..... नीकहर बाबू

प्रसन्नतापूर्वक सूचित करना है कि ग्राम पंचायत- झिटकिया के अन्तर्गत प्रा० वि० ३३.....

..... छात्री वि. में पंचायत शिक्षक

प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित के रूप में नियोजन करने हेतु आपका चयन किया गया है। आपका नियोजन बिहार प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2006 के अनुसार होगा। अगर आपको नियोजन स्वीकार्य हो तो कृपया सहमति -प्रपत्र में अपनी सहमति अंकित करते हुए ग्राम पंचायत कार्यलय में सुपुर्द करें तथा दस दिनों के अंदर उपरोक्त विद्यालय में योगदान दें। साथ ही योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की मूल प्रति एवं आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी संबंधित प्रमाण पत्र सहमति पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

अगर आपके द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो आपका नियोजन रद्द कर दिया जायेगा एवं आपके विरुद्ध कानूनी कारवाई की जायेगी।

स्थान - झिटकिया

दिनांक- 13-11-07

13-11-07  
पंचायत सचिव

ग्राम पंचायत- झिटकिया

प्रखंड-घैलाढ़

(मधेपुरा)

यदि शिक्षक नियोजन प्राप्त हो तो

विद्यालय में योगदान दें। साथ ही योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की मूल प्रति एवं आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी संबंधित प्रमाण पत्र सहमति पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

13-11-07  
प. ल.

Amexuse - 10

24

पंचायत शिक्षक के नियोजन हेतु नियोजन पत्र

ज्ञापांक - 06

दिनांक - 13.11.07

प्रखंड - घैलाढ़

जिला - मधेपुरा

पंचायत - झिटकिया

सेवा में,

श्रीमति नीकहत बानू प्रसन्नता पूर्वक सूचित करना है कि ग्राम पंचायत झिटकिया के अन्तर्गत प्रा० वि० उर्दू लक्ष्मीनियाँ में पंचायत शिक्षक अप्रशिक्षित के रूप में नियोजन करने हेतु आपका चयन किया गया है। आपका नियोजन बिहार प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2006 " के अनुसार होगा। अगर आपको नियोजन स्वीकार्य हो तो कृपया सहमति - प्रपत्र में अपनी सहमति अंकित करते हुए ग्राम पंचायत कार्यालय में सुपुर्द करें तथा दस दिनों के अंदर उपरोक्त विद्यालय में योगदान दें। साथ ही योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की मूल प्रति एवं आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी संबंधित प्रमाण पत्र सहमति पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

अगर आपके द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो आपका नियोजन रद्द कर दिया जायेगा एवं आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

स्थान - झिटकिया

दिनांक - 13.11.07

प्रतिलिपि- प्रधानाध्यापक प्रा०वि० उर्दू लक्ष्मीनियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/अस्पष्ट  
दि० 08.11.07  
प्र०स०

विश्वासभाजन,  
ह०/अस्पष्ट  
दि० 08.11.07  
पंचायत सचिव,  
ग्राम पंचायत - झिटकिया  
प्रखंड - घैलाढ़  
(मधेपुरा)

23

Annexure - 11

AUTH NO. 38424K-PRACH 23/20082420  
 714466 BIHAR  
 JUDICIAL  
 INDIA

1000 - 1

3227

11

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA  
 Civil Writ Jurisdiction Case No.7631 of 2008  
 Rahmati Bano, D/o Mohammad Anwar Alam,  
 resident of Saharsa Basti Ward No.31/24,  
 P.O. Saharsa, P.S. and District  
 Saharsa.....Petitioner

Versus

1. The State Of Bihar, through the Secretary, Human Resources Department (Education), Patna.
2. The District Magistrate, Madhepura.
3. The District Development Commissioner, Madhepura.
4. The Block Development Officer, Block Ghailarh, District Madhepura.
5. The Regional Deputy Director of Education, Koshi Division, Saharsa.
6. The District Superintendent of Education - cum - District Programme Co-ordinator, Madhepura.
7. The Block Education Officer, Block Ghailarh, District Madhepura.
8. The Panchayat Sachiv, Panchayat Jhitkia, P.O. Ghailarh, Block Ghailarh, District Madhepura.
9. The Headmaster, Primary School (Urdu) Lakshmania, Panchayat Jhitkia, Block Ghailarh, District Madhepura.
10. The Mukhia, Panchayat Jhitkia, P.O. Ghailarh, Block Ghailarh, District Madhepura.
11. Nikhat Banoo W/o Afroz, Mahua Tola, Panchayat Jhitkia, Block Ghailarh, District Madhepura..... Respondents

DEPARTMENT OF POST  
 BIHAR CIRCLE  
 00000  
 5801 IB16502  
 AUTH NO. 3765 DI 14/12/2008  
 INDIA

COPY

3 08.08.2014 Heard learned counsel for the petitioner as well as learned counsel for the State.

Petitioner was appointed as Panchayat Teacher in 2007. However, by subsequent order, she has been restrained from working as such and she has received



information that respondent no.11 has been appointed in her place.

The submission of the learned counsel for the petitioner is that respondent no.11 had not participated in the Counselling and, therefore, her appointment was out and out illegal. It is pointed out that petitioner filed a complaint before the competent authority vide Annexure-5 and also sent a legal notice to the Block Development Officer, Ghailarh, District Madhepura, vide Annexure-6, with copies to all concerned. However, it is submitted that no final decision has been taken by the respondents in the matter till now.

After creation of the statutory Appellate Authority as per 2008 Amendment in the Rules, Government officials have been divested off the powers to entertain any complaint and pass orders in respect of employment or otherwise of Panchayat Teachers and all pending matters in respect of Shiksha Mitra also.

As from the records it appears that the complaint of petitioner has not

COPYING  
C.C. 17/12/23

29

73 (28)

been disposed of by the authorities, this writ application is disposed of with a direction to the Block Development Officer/concerned authority to transmit the complaint/representation of the petitioner along all the connected records to the statutory Appellate Authority within one month from the date of receipt/production of a copy of this order. On receipt of the records, the Appellate Authority shall issue notice to the concerned parties giving them opportunity to be heard, call for the original records if necessary, and shall decide the matter in accordance with law on merits, without going into the question of limitation preferably within three months from the date of receipt of records from the office of the concerned authority.

sd/-  
(J. N. Singh, J.)

COPYING IN PROGRESS

Manoj kumar  
23/07/2011

CERTIFIED TRUE PHOTO COPY  
For Joint Registrar (J) 23/7/11  
Patna High Court  
Registered U/S 76 Act 1 of 1977

Annexure - 12

28

In  
The Court of District Teachers'  
& Appointment Appellate Authority,  
Madhepura.

Appeal No. 193/12

Rahmati Bano \_\_\_\_\_ Appellant.

Vrs.

State of Bihar & others \_\_\_\_\_ Respondent.

The humble Additional notes of argument filed  
on behalf of Nikhata Bano w/o Afroz Alam  
of village- Jhitkiya tola Mahua, ward No. 4,  
P.S. Ghailan, Distt. Madhepura most

Respectfully Sheweth :-

1. That, Roster point in Grampanchayat Jhitkiya under  
Ghailan Hock is detailed hereunder :

U R - 02	U R F : -	03
E B C : 01	E B C ( F ) :-	01
SC ( F ) : 01	B. C. ( F ) :-	01
R ( F ) : 01		

---

Total : 10.

2.

2. That, in the written argument dated 10.11.12, due to wrong instruction on behalf of this respondent, it has wrongly been asserted that her claim is in the category of B B C ( B ) . As a matter of fact, this respondent has been appointed against the UR B Urdue Category and got appointment letter dated 9.11.07 vide letter No.05 of the Panchayat Secretary Gram Panchayat Jhitkiya for the Primary school ( Urdu ) Laxminia.

3. That, vide Resolution No.07 of the proceeding register your honour will find that the appointment committee appointed two trained candidates and 08 untrained candidates under different category the resolution is written as follows:

" उपरोक्त आस्था कोटि के अल्प वेतन सूची में से समिति द्वारा कुल 10 [पद] पंचायत शिक्षक का नियोजन किया जाना है जो निम्न प्रकार है एवं कुल 10 पद में से 8 [पद] प्राथमिक पंचायत शिक्षक का नियोजन किया गया अब 8 [पद] शिक्षक पर अप्रीश्रित पंचायत शिक्षक का नियोजन किया जाना है जो निम्न प्रकार है:-

U R B - 02

1. नीतु कुमारी पिता अशोक कुमार प्रा० वि० लक्ष्मीनियाँ पूर्व टोला
- कुमारी कजल कामनी-विनोद कुमार यादव- प्रा० वि० पास टोला
- 2.

Handwritten mark

28

U R ( F ) : 01

उर्दू पुरुष मेधा सूची तैयार किया गया । उर्दू मेधा सूची तैयार नहीं रहने के कारण महिला उर्दू कौटिक एक पद रिक्त रह गया ।

Hence it is respectfully submitted that when U R ( F ) Urdu merit list was not prepared as to how name of Rahmat i Bano placed in the merit list of Urdu Male. In the last portion, certainly the Panchayat secretary placed the name of Rahmat i Bano for illegal gains, which is quite illegal and wrong.

Annexure I

4. That, knowing the fact, Mukhiya of the Gram Panchayat Jhikiya vide letter No.05 dated 7.11.2007 issued letter to the Headmaster Primary school Laxminia disclosing the fact, the relevant portion of the letter is as follows :-

• पंचायत सचिव द्वारा उर्दू पुरुष मेधा सूची में हुई उर्दू महिला एक अभ्यर्थी का नाम मेधा सूची में जोड़कर नियोजन किया गया तथा अधिक अंकाते उर्दू महिला बिना मेधा सूची तैयार कर एक महिला अभ्यर्थी रहमतो बानो प्रा० वि० लक्ष्मी-नियों में नियोजन किया गया जो नियम के विरुद्ध है। नियोजन समिति सर्व सम्मति से निर्णय किया कि महिला उर्दू अभ्यर्थी रहमतो बानो का नियोजन रद्द किया जाता है।

स्कूल कार्य नहीं लिया जाय

29

( Annexure 2 )

5. That, the Appointment Committee prepared a list of U R ( F ) Urdu candidates in the demanding condition amongst the applicants of Urdu female candidates and five female ( Urdu ) candidates ) were called for in appearing in the counselling those are :-

1. Arshi Bano
2. Nikhat Praveen
3. Jannatul Hirdaush,
4. Nikhat Bano ( this respondent ) and
5. Bibi Nigah Tarrannum

out of only Nikhat Bano appeared.

It is respectfully submitted that Rahmati Bani has got lesser marks from the candidates who were called for in Counselling-

Copy of the list attached as Annexure 3

6. That, vide Resolution dated 9.11.2007 resolution dated 9.11.2007 resolution No. 1 & 2 this respondent Nikhat Bano

30

5.

has been appointed against the U R ( B ) - Urdu category in the primary Urdu school Laxminia by the appointment/ Committee-

Copy of the resolution attached as Annexure 4

7. That, the comparative details of marks of Rahmati Bano and Nikhat Bano and others details are as follows :-

Rahmati Bano d/o Md. Aibar Alam,  
resident of Saharsa Basti p.s. & Distt. Saharsa  
Application No. 166, Molvi- 1200

Marks obtained - 512  
percentage - 42.66 %  
(wrongly written as 56.86%)

Nikhat Bano w/o Md. Afroz Alam,  
resident of Mahua, ps Ghailadh, distt. Madhepura.

Applicant No. 33,  
Molvi : 1200  
Marks obtained :- 828  
percentage : 69%

8. That, this respondent Nikhat Bano joined the school and discharging her duty to the satisfaction of the school authority and withdrawing her remuneration through state Bank of India Branch Ghailadh vide A/C No. 30742037353 right from 20.11.2007.

31

6.

9. That, from going through the papers and documents and applying the judicial mind it is crystal clear that the claim of Rahmeti Band (appellant) is totally false and illegal.

Under the facts and circumstances of the case your honour may be graciously pleased to dismiss the appeal. And for this respondent shall ever pray.


Respondent

through

*[Handwritten signature]*  
Advocate.  
*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten date]*



Annexure - 13



32

प्रेषक :- सदस्य,  
जिला शिक्षक नियोजन  
अपीलीय प्राधिकार, मधेपुरा।

सेवा में,

प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी / मैलाह  
पंचायत सचिव, फिदाहिया  
प्राचार्य, उर्दू साठ विठ फिदाहिया

मधेपुरा, दिनांक 21-03-2013

अपील संख्या - 193 / 2012 वादी रहमती  
बानो बनाम विहार सरकार एवं  
अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

उपरोक्त विषयक विषयांकित अपील में दिनांक 13-03-13 को  
आवश्यक आदेश पारित किया गया है। आदेश की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।  
अतः निदेश दिया जाता है कि पारित आदेश के आलोक में आदेश का  
अनुपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर भेजना  
सुनिश्चित करें।

अनुलग्नक -

आदेश की प्रति।

विश्वासभाजन

21/3/13

सदस्य

जिला शिक्षक नियोजन  
अपीलीय प्राधिकार मधेपुरा।

GOVT. OF BIHAR  
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.  
MADHEPURA SCORE, MADHEPURA

COURT FEE

Authorization No. 203



INDIA

भारत STAMP DUTY

00000

Rs. 0000001

374150

\*\*Zero\*Zero\*Zero\*Zero\*Zero\*Zero\*One\*\*\*

बिहार  
JUDICIAL

31.1.2013

BIHAR

7806 7022643

33

### न्यायालय

जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, मधेपुरा।

अपील वाद सं० 193/2012

रहमती बानो

वादी

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य

प्रतिवादीगण

### आदेश

13-03-13 (1)

यह वाद प्र० वि० पदाधिकारी, घैलाढ़ के पत्रांक— 584—2 दिनांक 23.06.12 के आलोक में दर्ज किया गया। पत्रांक— 584—2 दिनांक 23.06.12 के द्वारा प्र० वि० पदाधिकारी, घैलाढ़ ने माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रिट सं० 7631/2008 रहमती बानो बनाम बिहार सरकार तथा निकहत बानो आदि के मामले में पारित आदेश के प्रति के साथ अनुलग्नक के साथ प्राधिकार के यहाँ पत्र आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा। उक्त पत्र के आधार पर यह अपील पंजीकृत कर उभय पक्ष तथा पंचायत को नोटिश भेजा। वादी ने अपना लिखित पत्र दिनांक 20.10.12 को दाखिल किया। वादी द्वारा दाखिल किए गए आवेदन के आधार पर वादी का यह केश है कि प्रथम शिक्षक नियोजन वर्ष 2006 प्रखंड, घैलाढ़ अन्तर्गत झिटकिया पंचायत में पंचायत शिक्षक के नियोजन हेतु आवेदन की थी। दिनांक 25.04.2007 को पंचायत नियोजन समिति द्वारा प्रकाशित मेधा सूची में वादी का नाम आया। निर्धारित तिथि को वादी ने कौन्सिलिंग में भाग लिया। मुसलीम कोटि में सिर्फ वादी कौन्सिलिंग में भाग लिया तथा अन्य कोई मुसलीम महिला अम्यर्थी कौन्सिलिंग में भाग नहीं लिया था। अतः कौन्सिलिंग के बाद पंचायत झिटकिया नियोजन ईकाई ने अपने पत्रांक 1 दिनांक 03.06.2007 के द्वारा वादी रहमती का पंचायत शिक्षक में नियोजन किया और पदस्थापन प्र० वि० उर्दू लक्षमिनियाँ में किया। गृष्मावकाश रहने के कारण वादी पंचायत में योगदान किया और अवकाश समाप्त होने के बाद दिनांक 02.07.07 को प्र० वि० उर्दू लक्षमिनियाँ में योगदान किया। दिनांक 02.07.07 से लेकर दिनांक 08.11.2007 तक विधिवत स्कूल में कार्य किया। ग्राम पंचायत झिटकिया के द्वारा पत्रांक— 5 दिनांक 07.11.2007 के द्वारा वादी रहमती बानो से कार्य नहीं लेने का आदेश प्रधानाध्यापक को दिया जिसके आधार पर वादी से स्कूल में उपस्थिति बनाने नहीं दिया गया। वादी का कथन है कि विधि सम्मत ढंग से नियोजित होकर साढ़े पाँच महीना तक कार्य करने के बाद बिना किसी आरोप के बिना सूचित किए एवं कारण पृच्छा पूछे मुखिया ने पत्रांक— 5 दिनांक 07.11.2007 को प्रधानाध्यापक को वादी से काम नहीं लेने का आदेश दिया और पत्रांक— 6 दिनांक 13.11.07 के द्वारा वादी रहमती बानो का नियोजन रद्द कर निकहत बानो का नियोजन किया।

(2) वादी रहमती बानो ने विभिन्न पदाधिकारियों के यहाँ आवेदन दिया लेकिन किसी तरह का कार्रवाई नहीं होने के बाद वादी ने माननीय उच्च न्यायालय,



13/3/13



GOVT. OF BIHAR  
REGISTRATION, EXCISE & PROTECTION DEPT.  
MADHEPURA SCORE, MADHEPURA

COURT FEE

Authorization No. 2037

भारत



भारत

INDIA

STAMP DUTY

00000

0000001

374150

बिहार  
JUDICIAL

31.1.2013

BIHAR

7807 7323674

(34)

पटना में रिट याचिका नम्बर 7631 / 2008 दायर किया। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने दिनांक 08.08.2011 को यह आदेश पारित किया कि वादी का नियोजन वर्ष 2007 में किया गया लेकिन बाद में उनसे काम नहीं लेने का आदेश पारित किया गया तथा सबन्धित पदाधिकारी सभी अभिलेख को प्राधिकार के यहाँ भेजे और प्राधिकार काल अवधि को झ्रान्त करते हुए गुणागुण के आधार पर उभय पक्षों को सुनने के बाद आदेश पारित करे।

(3)

प्रतिवादी निकहत बानो उपस्थित होकर अपना जवाब एवं कागजात दाखिल किया है। प्रतिवादी निकहत प्रवीण का केश है कि पंचायत नियोजन ईकाई ने प्रस्ताव सं० 34 दिनांक 24.07.2007 के द्वारा वादी रहमती बानो का नियोजन रद्द कर अनारक्षित उर्दू कोटि में नियोजन के लिए दिनांक 07.11.07 को कौन्सिलिंग तिथि निर्धारित किया। दिनांक 08.11.07 को निकहत बानो का नियोजन किया। निकहत बानो का नियोजन पत्रांक- 6 दिनांक 13.11.07 के द्वारा किया गया।

वादी ने यह अपील पंचायत द्वारा निर्गत पत्रांक- 6 दिनांक 13.11.07 एवं पत्रांक- 5 दिनांक 07.11.2007 को निरस्त करने तथा वादी का नियोजन पत्रांक-4 दिनांक 03.06.2007 को सम्पुष्ट करने के लिए दायर किया है।

(5)

अब विचारणीय विषय यह है कि पंचायत नियोजन समिति झिटकिया द्वारा प्रस्ताव सं० 3 दिनांक 24.09.07 के द्वारा लिया गया निर्णय कि नियोजित रहमती बानो का नियोजन को रद्द किया जाता है नियमानुरूप है या नहीं। यह स्वीकारात्मक तथ्य है कि मेधा सूची दिनांक 25.04.07 को विभिन्न श्रेणी का तैयार किया गया। मुसलिम अभ्यर्थी के मेधा सूची दिनांक 25.04.07 को तैयार किया गया जिसमें वादी रहमती बानो का नाम है। इस मेधा सूची में निकहत बानो का नाम नहीं है। बिहार शिक्षक नियोजन नियमावली 9 के सब नियम 8 के अनुसार प्रतिवादी को एक सप्ताह के अन्दर आपत्ति देने का प्रावधान है, लेकिन प्रतिवादी ने उक्त मेधा सूची पर किसी तरह का आपत्ति नहीं दिया है। नियम 9 के उपनियम 10 के अनुसार कौन्सिलिंग के आधार पर इच्छित विद्यालय में पदस्थापन करना था। उपरोक्त नियम के अनुसार वादी का नियोजन पत्रांक- 4 दिनांक 03.06.07 को पदस्थापन किया गया। वादी का कथन है कि प्रतिवादी पूर्व के कौन्सिलिंग में भाग नहीं ली थी। सिर्फ वादी ही कौन्सिलिंग में भाग ली थी। इसलिए प्रतिवादी का नियोजन नहीं किया गया और वादी का नियोजन किया गया था। पंचायत नियोजन ईकाई ने उक्त कौन्सिलिंग रजिस्टर को जमा नहीं किया है। इसलिए पंचायत नियोजन ईकाई के खिलाफ संज्ञान अधिनियम 114(ग) के आलोक में वादी के कथन को सही माना जाता है। यह भी स्वीकारात्मक तथ्य है कि वादी को हटाने के पहले किसी तरह का नोटिश नहीं दिया गया और सोकारुज भी नहीं पूछा गया। अतः वादी के नियोजन करने का आदेश संविधान के धारा 14 का उल्लंघन है। अतः पंचायत नियोजन समिति का आदेश प्रस्ताव सं० 3 दिनांक 24.09.07 को निरस्त किया जाता है।

2

GOVT. OF BIHAR  
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.  
MADHEPURA SCORE, MADHEPURA

COURT FEE

Authorization No. 2027

भारत



INDIA

STAMP DUTY

00000

Rs. 0000001

374150

\*\*Zero\*Zero\*Zero\*Zero\*Zero\*Zero\*One\*\*\*

बिहार  
JUDICIAL

31. 1. 2013

BIHAR

7793 8627488

35

- (6) अब विचारणीय प्रश्न यह है कि पंचायत नियोजन समिति द्वारा निर्गत पत्रांक- 6 दिनांक 13.11.07 नियमानुकूल है या नहीं। इस संदर्भ में प्रतिवादी का कथन है कि उसे वादी से ज्यादा मेधा अंक था इसलिए वादी के नियोजन रद्द कर प्रतिवादी का नियोजन किया गया है। मेधा सूची दिनांक 25.04.07 के मुसलिम अभ्यर्थी में प्रतिवादी का नाम नहीं है, जिसके खिलाफ प्रतिवादी ने नियम 9 उपनियम 8 के अनुसार आपत्ति नहीं दिया था। इसके अलावे वे पूर्व कौन्सिलिंग में भाग नहीं लिया था। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश रिट सं० 6064 / 2007 अमीता कुमारी वनाम बिहार सरकार में दिए गए निर्देश के आलोक में प्रतिवादी का दावा नहीं बनता है।
- (7) वादी रहमती बानो का नियोजन दिनांक 03.06.07 को किया गया है। उनका नियोजन को रद्द करते हुए प्रतिवादी का नियोजन 08.11.07 को किया गया है। करीबन पाँच महीना के बाद कार्रवाई की गई है। अतः माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश रिट सं० 8608 / 2100 के आलोक में भी निकहत बानो का नियोजन नियमानुकूल नहीं है।
- (8) कार्यवाही पुस्तिका का मूल प्रति जमा किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पेज 3 को ओभर राइटिंग कर पेज 2 बनाया गया है। पेज 4 को ओभर राइटिंग कर अंक बनाया गया है। निकहत बानो का नियोजन का आदेश 08.11.07 को किया गया है, जिसमें पंचायत सचिव रामदेव का हस्ताक्षर दिनांक 08.11.07 का है। वादी द्वारा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत लिए गए प्रतिवेदन के अनुसार श्री रामदेव दिनांक 28.08.07 तक कार्यरत थे।
- (9) दिनांक 28.04.07 को सभी श्रेणी का मेधा सूची बनाया गया था। उसी सूची में से शिक्षकों का नियोजन किया गया है। जब अन्य मेधा सूची को पंचायत नियोजन ईकाई सही मानते हुए नियोजन किया। वादी का नियोजन भी उसी मेधा सूची के आधार पर किया गया था। बिना किसी कारण और बिना सोकाऊज पूछे वादी का नियोजन को रद्द किया गया है जो नियम के विपरीत है।
- (10) उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर रहमती बानो का नियोजन को सम्पुष्ट किया जाता है। प्रतिवादी निकहत बानो के नियोजन पत्र पत्रांक- 6 दिनांक 13.11.07 को रद्द किया जाता है। सबन्धित स्कूल के प्राचार्य रहमती बानो को योगदान कराये। वादी अपने कार्यावधि के वेतन का हकदार होगी। आदेश की प्रति पंचायत सचिव, झिटकिया, प्र० शि० पंदाधिकारी, घैलाढ़ एवं सबन्धित स्कूल के प्राचार्य को आदेश के अनुपालन हेतु भेजे।



पंदाधिकरण शुल्क  
2500/-  
लिपिक  
21.08.13

COMPARED BY  
Comparing Clerk  
21.08.13

13/8/13  
सदस्य

GOVT. OF BIHAR  
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.  
MADHEPURA SCORE, MADHEPURA

भारत  
STAMP DUTY  
00000  
0000001  
374150  
INDIA \*\*Zero\*Zero\*Zero\*Zero\*Zero\*Zero\*One\*\*\*\*

बिहार  
JUDICIAL  
31.1.2013  
BIHAR  
7811 8718478

जिला शिक्षक नियोजन,  
अपीलीय प्राधिकार, मधेपुरा  
Certified to be a true  
Head Clerk  
U/S 76 Act, 1 of 1872

COURT FEE  
Authorization No. 2037

जिसे

दि

श्री

पुत्र

श्री

का

प

पुत्र

पुत्र

पुत्र

पुत्र

पुत्र

पुत्र

पुत्र

पुत्र

पुत्र

पुत्र

पुत्र

पुत्र

पुत्र

पुत्र

पुत्र

विद्यार्थी ने यौवादाय करी। भोजन  
 वही का गै पा आपका भोजन  
 बरक का दिन आया था।  
 एवं अष्टौत्तराशिन को पुत्रादी  
 प्राप्ति। इतनी स्त्रीएँ प्रवसमति  
 थीं।

अन्य में मुद्रिमा जी  
 द्वारा उपनिषत् समिति की  
 अध्यक्षता प्राप्ति किया गया। नमस्कार  
 के साथ ही कार्यवाही समाप्त की जाती  
 है।

~~अध्यक्ष~~  
 अध्यक्ष/सचिव मुद्रिमा जी  
 द्वारा पुत्र प्रतिक्रिया

